अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं0 154/2018-19

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
18/3/19		

झारखंड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0 दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0 म0 निति–119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन मे गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जाँच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है–

मौजा–[illegible] मौजा न0– 12 खाता न0 142 प्लॉट न0 91,93,97 रकबा 10 डि0 की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या 02 के पृष्ठ संख्या 302 पर जमाबंदी रैयत प्रभु दयाल [illegible] के नाम से कायम है।

हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमांबदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजि लाभ एव राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमांबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतः– उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अंचल–निरिक्षक का मंतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक 1/4/19 को रखे।

अंचल अधिकारी,
धनबाद।

Scanned with CamScanner

11/4/19

अभिलेख उपस्थापित अंचल निरीक्षक से मतव्य /प्रतिवेदन अप्राप्त है।
अभिलेख दिनांक 13/4/19 को रखे।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

13/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नही हो सका।
अभिलेख दिनांक 20/4/19 को रखे।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

15/06/20

अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 29/06/20 को रखें।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

29/06/20

अभिलेख उपस्थपित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा [illegible] मौजा नं0 12 खाता 142 प्लाट नं0 91,93,97 रकवा 10.510 भूमि से संवधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत के खोज बीन के उपरान्त पता नही चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस नं0 49 (II) 59-60 के अनुसार कायम है। तत्कालीन अंचल अधिकारी , धनबाद द्वारा उक्त पंजी को संदेहास्पद माना गया है। जिसे संवधित उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधत।

29.6.20
अंचल अधिकारी,
धनबाद।

29.6.20
अंचल अधिकारी,
धनबाद।

Scanned with CamScanner